UPUN010040602023

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट/

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–11, उन्नाव।

पीठासीन अधिकारी– (VIVEKA NAND VISHWAKARMA), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06406**

विशेष सत्र परीक्षण संख्या : 674/2023

उत्तर प्रदेश राज्य .....प्रति..... दिलीप पुत्र रामभरोसे,
निवासी– ग्राम भवानीपुर,
मजरा कुशुम्भी,
थाना अजगैन, जिला उन्नाव।

धारा–506, 376 भा0दं0सं0
व 3/4 पॉक्सो ऐक्ट।
मु0अ0सं0 :– 93/2023,
थाना अजगैन, जिला उन्नाव।

–निर्णय–

01– मु0अ0सं0–93/2023 में बाद विवेचना अभियुक्त दिलीप पुत्र रामभरोसे के विरूद्ध आरोप पत्र सं0–109/2023, दिनांकित–19.05.2023 अन्तर्गत धारा–506, 376 भा0दं0सं0 व 3/4 पॉक्सो ऐक्ट थाना अजगैन, जिला उन्नाव के द्वारा प्रेषित किया गया।

02– आरोप पत्र का संज्ञान तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के द्वारा लिये जाने के उपरान्त न्यायालय द्वारा विचारण किया गया। नाबालिग पीड़िता 'ए' का नाम प्रकट न किए जाने के आशय से निर्णय में पीड़िता के नाम को 'ए' शब्द से निरूपित किया गया है।

03– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि–

"वादिनी मुकदमा/पीड़िता को ग्राम भवानीपुर, मजरा कुसुम्भी का लड़का जिसका नाम दिलीप पुत्र राम भरोसे स्कूल जाते समय उसका विडियो मोबाइल पर बनाकर उसको धमकाना शुरू कर दिया और उसको जबरदस्ती अपने साथ पक्षी बिहार ले जाकर जबर शारीरिक संबंध बनाता रहा और वीडियो वायरल करने की धमकी भी दे रहा है। उसको मो0 नं0–8005116300 व 9336832924 से लगातार फोन करके रोज कहीं न कहीं बुलाया करता है कि अगर आप नहीं आओगी तो इंटरनेट पर इसको अपलोड कर दूंगा और उसे शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहा है। दिलीप द्वारा दिनांक–14.04.23 को उसे पक्षी बिहार रिंग रोड की तरफ ले जाकर जबरन शारीरिक संबंध

Digitally signed by VIVEKA NAND VISHWAKARMA
Date: 2024.09.10 16:51:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

बनाये। इसके बाद इस सारी घटना की जानकारी उसने अपनी मां को दिया जो कि वह अपनी मां के साथ थाना अजगैन आकर प्रार्थना पत्र दिया।"

04– वादिनी मुकदमा के उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर सम्बन्धित थाना अजगैन, जिला उन्नाव में मु0अ0सं0–93/2023, धारा–506, 376 भा0दं0सं0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त दिलीप के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी।

05– आरोप पत्र प्रस्तुत होने के उपरान्त अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन को सुनने के उपरान्त तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त दिलीप के विरूद्ध दि0–22.06.2023 को धारा–3/4 पॉक्सो अधिनियम तथा धारा–376, 506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किये गये। उपरोक्त आरोप से अभियुक्त ने इन्कार किया और परीक्षण की मांग की, जिस पर परीक्षण प्रारम्भ हुआ।

06– अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजन कथानक को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित गवाह परीक्षित कराये गये हैंः–

1– पी0डब्लू0–1 पीड़िता 'ए' (वादिनी मुकदमा/तथ्य की साक्षी)

2– पी0डब्लू0–2 ऊषा (तथ्य की साक्षी)

3– पी0डब्लू0–3 दिनेश (तथ्य की साक्षी),

07– साथ ही अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में :– तहरीर प्रदर्श क–1, बयान वादिनी/पीड़िता अन्तर्गत धारा–164 दं0प्र0सं0 प्रदर्श क–2 को साबित किया गया है तथा शेष अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता अभियुक्त पक्ष द्वारा स्वीकार की गयी है, परन्तु अर्तवस्तु की सत्यता से इंकार किया गया है तथा अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य समाप्त किए गए हैं।

08– अभियुक्त का बयान अर्न्तगत धारा–313 दं0प्र0सं0 दि0–03.08.2024 को अंकित किया गया। अभियुक्त ने अपने ऊपर लगाये गये सभी आरोपों के संबंध में कहा है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है तथा अभियुक्त ने पी0डब्लू0–1, पी0डब्लू0–2 एवं पी0डब्लू0–3 के बयान के संबंध में कुछ नहीं कहा है। अभियुक्त पक्ष द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता स्वीकार किए जाने के संबंध में कुछ नहीं कहा है तथा मुकदमा रंजिशन चलना कहा है और अपने अन्य कथन कुछ नहीं कहा है एवं सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया है।

<u>विश्लेषण एवं निष्कर्ष</u>

09– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम 2012, की बहस सुनी गयी और पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया गया।

10– अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक को साबित करने हेतु 03 साक्षियों को परीक्षित कराया गया है जिसने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी है।

11– अभियोजन पक्ष की तरफ पीड़िता का आयु के बाबत हाईस्कूल प्रमाण पत्र–सह–अंकपत्र की छाया प्रति को प्रदर्श क–6 के रूप में दाखिल किया गया है। उक्त शैक्षिक प्रपत्र में पीड़िता की जन्मतिथि–13.07.2006 अंकित है। चूंकि अभियोजन की ओर से पीड़िता की आयु के संबंध में शैक्षिक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है और उसकी औपचारिक सत्यता अभियुक्त पक्ष द्वारा स्वीकार की गयी है, अतः पीड़िता की जन्मतिथि 13.07.2006 होना साबित है, जिसके अनुसार पीड़िता घटना की तिथि 14.04.2023 को 16 वर्ष 09 माह 01 दिन की नाबालिग दर्शित होती है। पीड़िता के नाबालिग होने के संदर्भ में अभियुक्त पक्ष द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी है और पीड़िता का नाबालिग होना स्वीकार है। इस प्रकार पीड़िता घटना के समय नाबालिग पायी जाती है।

12– अभियोजन ने अपने कथानक को साबित करने हेतु प्रथम सूचना दाता/पीडिता 'ए' को पी0डब्लू0–1 के रूप में परीक्षित कराया है, जिसके द्वारा दिनांक–15.04.2023 को अभियुक्त द्वारा जबरन शारीरिक संबंध बनाने एवं धमकी देने संबंधी तहरीर दी गयी थी जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–376, 506 भा0दं0सं0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी थी। बाद विवेचना अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है और आरोप विरचित किए गए। पी0डब्लू0–1 पीड़िता 'ए' ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, ''वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मेरे साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाये थे, जिससे मैं बहुत परेशान हो गयी थी। परेशान होकर मैंने अपनी मां को घटना के विषय में बताया। मेरी मां मुझे थाने लेकर गयी थी।'' उक्त साक्षी ने तहरीर को प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया है। उसने आगे कहा है कि मेरे द्वारा दिलीप द्वारा शारीरिक संबंध बनाये जाने वाली बात मैंने लोकलाज की वजह से किसी को नहीं बतायी गयी थी। पीड़िता ने धारा–164 दं0प्र0सं0 के बयान को प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया है। इस उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर जबरदस्ती बलात्कार करना कहा है। दिनांक–07.11.23 को बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में उसने कहा है कि, ''मैं दिलीप को पहले से जानती थी। मेरी दिलीप से फोन पर बात होती थी। दोनों लोग एक दूसरे से फोन पर बात करते थे। हम लोग पढ़ाई लिखाई के संबंध में बात करते हैं। दिनांक–14.04.2023 को किसी ने मुझे व दिलीप को एक साथ देखकर मेरे पिता से शिकायत कर दी थी तथा पिता जी को गुमराह कर दिया था। दिलीप ने मेरा कोई वीडियो नहीं बनाया था। दिलीप ने कभी मेरे साथ बलात्कार नहीं किया। बलात्कार का अर्थ मैं अच्छी तरह से जानती हूं। दिलीप ने मुझे कभी जान से मारने की धमकी भी नहीं दी थी। मेरे पिता जी ने लोक लोज के कारण व लोगों के गुमराह करने के कारण मुझे थाने मुकदमा लिखवाने ले गये थे। तहरीर मैंने नहीं लिखी थी, किसने लिखी थी मुझे नहीं मालूम, लिखने वाले ने पढ़कर नहीं सुनाया था, केवल हस्ताक्षर बनवा लिए थे। वीडियो बनाने व उसको इण्टरनेट पर अपलोड करने वाली बात गलत है। मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी।''

जिरह के स्तर पर पीड़िता को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है। इस प्रकार उक्त साक्षी अपनी जिरह में अभियोजन कथानक के विपरीत कथन करते हुए कथित घटना से इंकार किया है और वह विश्वसनीय साक्षी नहीं है।

13– पीड़िता ने धारा–164 दं0प्र0सं0 कथन किया है कि, ''मेरी आयु 17 वर्ष है। मैं कक्षा–11 तक पढ़ी हूँ, दिलीप मुझे स्कूल आते जाते देखता था और मेरा वीडियों बनाता था, दिलीप ने करीब 5 से 6 महीने पहले मुझे फोन किया और मुझसे कहा कि मैनें तुम्हारे आते जाते वीडियो बना लिया है, तुम नवाबगंज पक्षी बिहार आओ नहीं तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूँगा मैं स्कूल से छुट्टी के बाद नवाबगंज गयी वहॉ दिलीप ने मुझे फोटो दिखाई, फोटो स्कूल ड्रेस में थी जिसमें में आते जाते और बच्चों के साथ खड़ी हूँ इसके बाद दिलीप ने मेरे साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये। मैनें कोई विरोध नहीं किया क्योंकि दिलीप ने मुझे धमकी दी थी कि मेरा वीडियो वायरल कर देगा। इसके बाद दिलीप मुझे हर दो तीन दिन के बाद नवाबगंज बुलाता था और मेरे साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाता था। ऐसा करीब 5–6 महीने तक चला इसके बाद दिनांक–14.04.23 को दिलीप का फोन आया, उस दिन मेरे पापा भी घर पर थे। पापा केरल में काम करते है वह घर पर नहीं रहते थे। मैं उस दिन दिनांक 14.4.23 को दिलीप से मिलने गयी। उस दिन भी दिलीप ने मेरे साथ सम्बन्ध बनाये। जब मैं वापस आ रही थी तब मम्मी और पापा को पता चल गया। किसी ने मुझे नवाबगंज जाते हुए देख लिया था। इसके बाद मैंने मम्मी को सारी बात बताई। फिर मम्मी ने थाने में रिपोर्ट लिखाई। दिलीप मुझे जान से मारने की धमकी देता था।'' इस प्रकार पीड़िता ने धारा–164 दं0प्र0सं0 के बयान में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाने तथा जान से मारने की धमकी देने का कथन किया गया है, परन्तु पीड़िता ने न्यायालय के समक्ष दिए गए बयान में उक्त बयान पुलिस के दबाव में देना कहा है और इस प्रकार उक्त साक्ष्य सारवान साक्ष्य की श्रेणी का नहीं रह जाता है।

14– अभियोजन ने पी0डब्लू0–2 के रूप में ऊषा को परीक्षित कराया है, उसने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि, ''मेरी लड़की के साथ कोई घटना घटित नहीं हुई है। दिलीप ने मेरी लड़की के साथ कोई ब्लैकमेलिंग नहीं किया था। शारीरिक संबंध भी नहीं बनाये थे। पढ़ाई लिखाई की बात फोन पर करते थे। मेरे पति ने लोकलाज व गुमराह करने के कारण थाने में मेरी लड़की से रिपोर्ट लिखवा दी थी। वीडियो बनाकर वायरल करने वाली बात तथा बलात्कार करने व जान से मारने की धमकी देने वाली बात गलत है।'' इस साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है। विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में उसने कहा है कि, ''गवाह को उसका बयान 161 दं0प्र0सं0 पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि ऐसा कोई बयान मैंने दरोगा जी को नहीं दिया था। कैसे लिख लिया इसकी मैं वजह नहीं बता सकती। मेरे सामने मेरे पति के मोबाइल पर किसी का फोन नहीं आया। मेरी पुत्री के साथ उपरोक्त कथित घटना नहीं घटी थी, ना ही मेरी लड़की के साथ बलात्कार हुआ, ना ही वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी, ना ही दिलीप द्वारा मेरी लड़की

को जान से मारने की धमकी दी।'' बचाव पक्ष की जिरह में उसने कहा है कि, ''आज मैं जो बयान दे रही हूं वह सही बयान दे रही हूं। मेरा बयान दरोगा जी ने नहीं लिया था। मेरे सामने कोई घटना नहीं हुई। मेरी लड़की ने भी जो आज बयान दिया है वह सही दिया है।'' इस प्रकार उक्त साक्षी ने अभियुक्त दिलीप द्वारा कथित घटना कारित किए जाने से इंकार किया है तथा अभियुक्त की संलिप्तता से इंकार करते हुए, अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और वह पक्षद्रोही साक्षी है तथा विश्वसनीय साक्षी नहीं है।

15– अभियोजन ने पी0डब्लू0–3 के रूप में दिनेश को परीक्षित कराया है, उसने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि, ''मेरी लड़की ने मुझे बताया था कि दिलीप स्कूल में छेड़छाड़ करते हैं और वीडियो भी बनाया है और वीडियो बनाकर ब्लैक मेल किया। मेरी लड़की पीड़िता डरी हुई थी। ब्लैक मेल करके गंदा काम भी करते थे।'' इस प्रकार इस साक्षी ने अपने मुख्य बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। परन्तु बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में उसने कहा है कि, ''मैंने अपनी आंखों से कभी दिलीप को अपनी लड़की को छेड़ते नहीं देखा था। पुलिस ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। मैंने कोई एफ0आई0आर0 नहीं लिखाई, ना थाने गया एफ0आई0आर0 लिखाने। पीड़िता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति ने भी मुझे नहीं बताया है कि दिलीप पीड़िता से छेड़छाड़, बलात्कार, ब्लैकमेल या धमकी देता है। मैं कभी थाने नहीं गया।'' इस प्रकार उक्त साक्षी चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, उसने एफ0आई0आर0 से लिखाने से इंकार करते हुए अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और वह विश्वसनीय साक्षी नहीं है।

16– पीड़िता के मेडिकल रिपोर्ट में एक कन्ट्यूजन चोट पायी गयी है जो कि साधारण प्रकृति की है तथा अन्तरिक परीक्षण में Vagin is old torned with multiple flaces मेडिकल परीक्षण के अनुसार पीड़िता की उम्र 17 वर्ष होना बतायी गयी है। अभियोजन की ओर से विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श क–9 प्रस्तुत की गयी है, जिसकी औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी है। उक्त रिपोर्ट में अभियुक्त के रक्त नमूने से पीड़िता के वेजाइनल स्लाइड से मिलान किया गया जिसमें आंशिक डी0एन0ए0 प्रोफाइल जेनरेट होने के कारण अभिमत दिया जाना संभव न हो पाना कहा गया है।

17– इस प्रकार अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्षियों ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। अन्य साक्ष्य औपचारिक प्रपत्र हैं, जिनकी औपचारिक सत्यता अभियुक्त पक्ष ने स्वीकार की है, परन्तु अर्न्तवस्तु की सत्यता से इंकार किया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपित अपराध की पुष्टि नहीं होती है। ऐसी दशा में अभियोजन अरोपित अपराध के धारा–29 पॉक्सो अधिनियम के तहत आवश्यक तत्वों को साबित कर पाने में असफल रहा है। इस प्रकार प्रत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से अभियोजन कथानक संदेह से परे साबित नहीं होता है और अभियुक्त संदेह का लाभ पाते हुए लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

18— अतः अभियुक्त दिलीप पुत्र रामभरोसे को मु0अ0सं0—93/2023, विशेष सत्र वाद सं0—674/2023, थाना अजगैन, जिला उन्नाव में धारा—3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं धारा—376, 506 भा0दं0स0 के आरोप से दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

आदेश

19— तद्नुसार अभियुक्त दिलीप पुत्र रामभरोसे को मु0अ0सं0—93/2023, विशेष सत्र वाद सं0—674/2023, थाना अजगैन, जिला उन्नाव में धारा—3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं धारा—376, 506 भा0दं0स0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

20— दोषमुक्त अभियुक्त दिलीप पूर्व से जमानत पर है तथा न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। उसके जमानतनामें तथा बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

21— धारा—437ए दं0प्र0सं0 अन्तर्गत दो जमानतदार मु0 50,000 (पचास हजार रूपये) तथा इतनी ही धनराशि के निजी बंधपत्र, अभियुक्त एक सप्ताह के अन्दर दाखिल करेगा, जो छः माह तक वैध रहेंगे।

दि0—10.09.2024

(विवेकानन्द विश्वकर्मा)
विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो ऐक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0—11, उन्नाव।

यह निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

दि0—10.09.2024

(विवेकानन्द विश्वकर्मा)
विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो ऐक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0—11, उन्नाव।